भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *257
12.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बाल्यकाल वृद्धि अवरोध तथा मातृ कुपोषण

*257. **डा. अशोक कुमार मित्तल:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन्नत मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत देश भर में बाल्यकाल वृद्धि अवरोध तथा मातृ कुपोषण में कितनी कमी दर्ज की गई है;

(ख) वास्तविक समय आधारित लाभार्थी निगरानी हेतु वर्तमान में स्मार्टफोन तथा पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन का उपयोग करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या डिजिटल निगरानी प्रणाली फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने तथा अनुपूरक पोषण की लक्षित प्रदायगी सुनिश्चित करने में सफल रही है;

(घ) बुनियादी ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिकीकृत, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नत करने हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आहार में स्थानीय रूप से प्राप्त मोटे अनाजों (श्री अन्न) के समावेश को अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क)से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'बाल्यकाल वृद्धि अवरोध तथा मातृ कुपोषण' के संबंध में डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों में देशभर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता में सुधार परिलक्षित हुआ है। एनएफएचएस-3 से एनएफएचएस-6 तक बौनेपन की व्यापकता में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन (%)**
एनएफएचएस-3 (2005-06)***	48.0
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5
एनएफएचएस-6 (2023-24)***	29.3

*** 5 वर्ष से कम आयु

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मातृ स्वास्थ्य से संबंधित समग्र संकेतकों की निगरानी करता है तथा उनका रिकॉर्ड रखता है। मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों से संबंधित आंकड़े https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/publication.php पर उपलब्ध हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की लगभग उसी समय निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित निगरानी उपकरण के रूप में लागू किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन का उपयोग करने तथा मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय स्मार्टफोन की खरीद के लिए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है, जिसमें सुचारु एवं निर्बाध आंकड़ा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्मार्टफोन (बफर) रखने एवं उनका रख-रखाव करने का प्रावधान भी शामिल है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चार वर्ष से अधिक पुराने स्मार्टफोन को बदला जा सकता है।

पूरक पोषण का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने तथा फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक होम राशन (टीएचआर) के वितरण हेतु पोषण

ट्रैकर एप्लिकेशन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) लागू किया गया है। एफआरएस के अंतर्गत ई-केवाईसी और आधार-आधारित फेस मैचिंग करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की आवश्यकता लाभार्थी के संपूर्ण जीवन-काल में केवल एक बार होती है। इसके पश्चात लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आंगनवाड़ी केन्द्र पर आना होता है और केवल सामान्य फेस मैचिंग की आवश्यकता होती है। नेटवर्क अथवा सर्वर संबंधी समस्या होने की स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी फेस मैचिंग कर सकती हैं और आंकड़े को 5 दिनों के भीतर समन्वित (सिंक) किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिला अथवा धात्री माता के आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को नामित करने की सुविधा (नॉमिनी मॉड्यूल) भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लाभार्थियों के लिए सेवाओं एवं लाभों की प्राप्ति को और अधिक सुगम बनाया जा सके। पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध लाभार्थी मॉड्यूल तथा माइग्रेशन मॉड्यूल भी लाभार्थियों के लिए सेवाओं की प्राप्ति को सुगम बनाते हैं। आधार-आधारित ट्रैकिंग से लाभार्थियों की उचित पहचान सुनिश्चित करने, योजना के लाभों के दुरुपयोग (लीकेज) को रोकने तथा अस्तित्वहीन लाभार्थियों की प्रविष्टियों को हटाने में सहायता मिली है। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 99.89 प्रतिशत पंजीकृत लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया जा चुका है।

पारदर्शी, प्रणाली-आधारित प्रमाणीकरण एवं डिजिटल निगरानी के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त करने के अनिच्छुक/फर्जी/अनुपस्थित लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रणाली से हटाया गया है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों की संख्या 10.16 करोड़ (अप्रैल, 2025) से घटकर 8.94 करोड़ (जुलाई, 2026) हो गई है। इससे योजना के लाभों का अधिक प्रभावी एवं लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिली है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, पोषण सेवाओं तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) को सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नयन हेतु अनुमोदित किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ियों को उन्नत अवसंरचना एवं सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है, जिनमें एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिकाएं, ईसीसीई शिक्षण सामग्री तथा बिल्डिंग ऐज़ लर्निंग एड (बाला) पेंटिंग शामिल हैं। दिनांक 6 अगस्त, 2026 की स्थिति के अनुसार, इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 836.2719 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आहार विविधता में सुधार तथा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण कार्यक्रम में श्री अन्न (मिलेट्स) को उपयुक्त रूप से शामिल करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) तथा किशोरियों के लिए योजना के अंतर्गत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण तैयार करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से श्री अन्न (मिलेट्स) सहित खाद्यान्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को रियायती दरों पर आवंटित किए जाते हैं।

- इस मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानकों को जनवरी, 2023 में संशोधित किया गया था। पुराने मानक मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानक आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा एवं गुणवत्ता, दोनों की दृष्टि से अधिक व्यापक एवं संतुलित हैं तथा इनमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 और विटामिन-बी12) का प्रावधान है।

- पूरक पोषण की स्वीकार्यता एवं उपभोग में सुधार के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय खान-पान की आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के आधार पर मेनू एवं व्यंजनों का निर्धारण करने की पूर्ण छूट दी गई है। पूरक पोषण में स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, श्री अन्न (मिलेट्स), दालें, सब्जियां, मेवे तथा अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है, जिससे लाभार्थियों के बीच अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आहार विविधता को भी बढ़ावा मिलता है।

- मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2026 को पूरक पोषण संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें पूरक पोषण की गुणवत्ता, विविधता एवं स्वीकार्यता में सुधार तथा निर्धारित पोषण मानकों एवं गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

- मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव एवं जागरूकता प्रसार है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण

संबंधी विषयों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि बेहतर पोषण संबंधी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रमशः सितम्बर तथा मार्च-अप्रैल माह में आयोजित पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलनों के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के विभिन्न संस्करणों में आहार विविधता पर बल दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से मिलेट्स के उपयोग एवं उपभोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2018 से 16 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनसे न केवल लक्षित लाभार्थियों बल्कि व्यापक स्तर पर समुदायों को भी जागरूक करने में सहायता मिली है।

- समुदाय आधारित आयोजन (सीबीई) पोषण संबंधी व्यवहारों में परिवर्तन लाने की एक महत्वपूर्ण कार्यनीति रहे हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा प्रत्येक माह समुदाय आधारित दो आयोजन किए जाने अपेक्षित हैं। अप्रैल, 2022 से जून, 2026 तक पोषण ट्रैकर पर लगभग 10.5 करोड़ समुदाय आधारित आयोजनों की रिपोर्ट की गई है।
- आहार विविधता तथा पौष्टिक स्थानीय उपज के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत देशभर के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं अथवा न्यूट्री-गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय एवं मौसमी फलों और सब्जियों के उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे आहार विविधता में सुधार हो तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बढ़े।
